

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

समाहर्ता,
मधुबनी।

पटना-15, दिनांक-.....

विषय:- केजरीवाल+2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर, मधुबनी का अतिक्रमण दूर करने के सम्बन्ध।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार-सह-अध्यक्ष, राज्य स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, बिहार से प्राप्त पत्रांक-1235/नि0 दिनांक-09.12.2013 (प्रति संलग्न) एवं जिसके साथ प्रभारी प्रधानाध्यापक केजरीवाल+2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर, मधुबनी का पत्रांक-146 दिनांक-16.11.2013 भी संलग्न है, के क्रम में निदेशानुसार अनुरोध है कि भूमि अतिक्रमण को दूर करने हेतु अपेक्षित सभी कार्रवाई निश्चित सीमा के अंदर प्राथमिकता के अधार पर करने एवं कृत कार्रवाई से विभाग को अवगत कराने की कृपा की जाय।

अनु0-यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-6/खा0 म0 मधुबनी-06/13-1506 (6) /स0 पटना-15, दिनांक- 20/12/13
प्रतिलिपि:-मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(राजेन्द्र प्रसाद)

सरकार के उप सचिव।

नीतीश मिश्रा
Nitish Mishra



मंत्रा
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार

- सह -

अध्यक्ष

राज्यस्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति,
बिहार

दिनांक / Date : 9/12/2013

पत्रांक / Ref. No. : 1235/अ-✓

सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

श्री राजेन्द्र प्रसाद, प्रभारी प्रधानाध्यापक, केजरीवाल+2 उच्च विद्यालय, झंझारपुर, मधुबनी का आवेदन मूल में संलग्न है । क्षेत्रभ्रमण के क्रम में मुझे भी विद्यालय भूमि पर निजी कार्यों हेतु कतिपय व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जे के संबंध में अवगत होने का अवसर मिला । मुझे अवगत कराया गया है कि अंचलाधिकारी को विधिवत मापी हेतु आवेदन एवं शुल्क जमा करने के बावजूद भी मापी एवं सीमांकन कार्य पूर्ण नहीं किया गया है । विद्यालय की उचित मापी एवं भूमि का सीमांकन नहीं किए जाने के कारण अवैध कब्जे की प्रवृत्ति पर विराम नहीं लगाया जा सका है ।

संलग्न आवेदन में वर्णित तथ्यों के आलोक में विद्यालय की भूमि का दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति के साथ मापी एवं सीमांकन कराते हुए अतिक्रमण से मुक्त कराने हेतु समुचित कार्रवाई करना चाहेंगे ।

शुभकामनाओं के साथ,

अनु०- यथोपरि ।

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 9.12.13

प्रेषक :- प्रधानाध्यापक

केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय,

झंझारपुर(मधुबनी)

पत्रांक146.....

दिनांक16.11.2013

सेवा में,

श्री नीतीश कुमार मिश्रा जी,
मंत्री, ग्रामीण विभाग,
पटना।

Mo/RD - 5234
28/11/13

विषय :- विद्यालय की जमीन खेसरा सं० -5526 रकवा 14 कट्टा को अतिक्रम कर लिये जाने के संबंध में।

महाशय

विद्यालय को कुल 05 बीघा 13 कट्टा 01 धूर जमीन प्राप्त है जिसका जमावन्दी न० 1225 एवं 1226 है। वर्ष 2007-08 तक लगान रसीद भी कट चुका है। विदित हो कि विद्यालय की जमीन जिसका खेसरा न० 5526 रकवा 14 चौदह कट्टा जो विद्यालय से दक्षिण पुरव एवं अंचल अधिकारी झंझारपुर के प्रकोष्ठ से सामने पश्चिम अवस्थित है।

स्थानीय श्री जगादीश पासवान पे० नामालुम एवं श्री रामु यादव पे० नामालुम विषयांकित खेसरा की जमीन को अतिक्रमण के उद्देश्य से मिट्टी भरवाकर अपने कब्जे में कर रहे हैं।

इस संबंध में जिले के सभी संबंधित पदाधिकारियों को अगस्त 13 के प्रथम सप्ताह में ही सूचित किया जा चुका है लेकिन कोई भी कारवाई नहीं हो पायी है। विदित हो कि विद्यालय की पुरी जमीन को नापी कराने हेतु अंचल अधिकारी स्तर पर कईवार निवेदन किया जा चुका है। अंचल अधिकारी झंझारपुर के पत्रांक-643 दिनांक-24.08.11 द्वारा अंचल अमीन का शुल्क जमा करने हेतु निदेशित किया गया था के आलोक में विद्यालय द्वारा राशि जमाकर नजारत रसीद संख्या-528411 दिनांक-21.11.2011 वास्ते कुल 875-आठ सौ पचहतर रुपये मात्र का प्राप्त किया गया। अंचल अमीन द्वारा अधतन विद्यालय जमीन का सीमांकन नहीं कराया जा सका है।

विभागीय पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई नहीं किये जाने के कारण अतिक्रमण कारी का मनोवल बढ़ता जा रहा है। अतिक्रमित जमीन अनुमंडल मुख्यालय के मुख्य मार्ग से सटा है जिसका मूल्य लाखों रूपयें की है।

अतः श्री मान् से निवेदन है कि विद्यालय की अतिक्रमित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई के साथ-साथ विद्यालय के पुरी जमीन का सीमांकन सरकारी अमीन से करवाने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन



प्रभारी, प्रधानाध्यापक
केजरीवाल +2 उच्च विद्यालय
झंझारपुर, (मधुबनी)